[2019] 3 एस. सी. आर. 400

आरिश असगर कुरैशी

वी.

फरीद अहमद कुरैशी और ए. एन. आर.

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 387)

फरवरी 26,2019

[आर. एफ. नरीमन और वाइन सारन, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.340-वैवाहिक कार्यवाही-अग्रिम जमानत में किए गए कुछ कथन

सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों के समक्ष आवेदन-यह आरोप कि दिए गए बयान जानबूझकर झूठे थे और न्यायालय सत्र न्यायालय से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए जानबूझकर किए गए थे

आवेदक अपरिपक्व है-उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन में दिए गए समान बयान-उच्च न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त आवेदन में दिया गया बयान गलत था और इसलिए, पहली नजर में झूठी गवाही के लिए मामला बनाया गया था। s.340 और यह कि अपील पर अपीलार्थी पर मुकदमा चलाना न्याय के हित में समीचीन होगा, अभिनिर्धारित कियाः कुछ जानबूझकर होना चाहिए-एक बयान जानबूझकर और सचेत रूप से दिया जाना चाहिए जो निर्विवाद साक्ष्य, दस्तावेजी या अन्यथा के साथ इसकी तुलना करने के परिणामस्वरूप गलत पाया जाता है-वर्तमान मामले के तथ्यों में,

जाँच रिपोर्ट, और वह भी एक पुलिस अधिकारी द्वारा, अग्रिम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के साथ, जिनमें से किसी को भी निर्दोष सबूत नहीं कहा जा सकता है जिसके खिलाफ यह स्पष्ट रूप से हो सकता है यह कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया झूठी गवाही का मामला बनाया गया है-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 कुछ जानबूझकर होना चाहिए-एक बयान जानबूझकर और सचेत रूप से दिया जाना चाहिए जो निर्विवाद साक्ष्य, दस्तावेजी या अन्यथा के साथ इसकी तुलना करने के परिणामस्वरूप गलत पाया जाता है। वर्तमान के तथ्यों में

400 आरिश असगर कुरैशी बनाम। फरीद अहमद कुरैशी

मामले में, यह स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत याचिका में दिए गए बयान का परीक्षण निर्दोष साक्ष्य के खिलाफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा, आई. डी. 1 दिनांकित रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, जो एफ. आई. आर. दर्ज होने के केवल दो दिन बाद दायर की गई जांच अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रकृति में है, किसी भी परिस्थिति में अग्रिम जमानत आवेदन में दिए गए बयानों के विपरीत निर्विवाद साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 30.11.2017 के आदेश के पैरा 3 में अभिलिखित प्रस्तुति अग्रिम में उपरोक्त अनुच्छेद से है।

जमानत याचिका, फिर भी, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मुख्य रूप से अग्रिम जमानत दे रहा था क्योंकि एफ. आई. आर.

जमानत आवेदन से यह नहीं पता चलता है कि इस अवधि के दौरान आवेदक का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध था जिनका पृथक्करण जिसके परिणामस्वरूप यह आकलन करना संभव नहीं था कि आई. पी. सी. की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में अभिकथन प्रमाणित है या नहीं। उच्च न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि यह देखते हुए कि पति और पत्नी शादी के बाद केवल बहुत कम समय के लिए एक साथ रहे थे, और पति को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी, इन आधारों पर अंतिम अग्रिम जमानत देने का फैसला किया। यह स्पष्ट है,

1.2 वर्तमान मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने किसी भी सबूत की जांच नहीं की है क्योंकि जांच करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी देखा है वह प्रारंभिक जांच है

रिपोर्ट, और वह भी एक पुलिस अधिकारी द्वारा, अग्रिम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के साथ, जिनमें से किसी को भी नहीं कहा जा सकता है

निर्विवाद साक्ष्य जिसके खिलाफ यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया झूठी गवाही का मामला बनाया गया है। [पैरा 13] [409-एफ-एच]

1.3 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलें कि उच्च न्यायालय ने खुद को संतुष्ट नहीं किया है कि मामले को आगे बढ़ाना न्याय के हित में समीचीन है, सही नहीं प्रतीत होती हैं। इस तरह के निष्कर्ष दर्ज किए जाते हैं। हालाँकि, यह अन्यथा पाया जाता है कि इसे इस तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था।

समान रूप से, सत्र न्यायालय के आदेश के अपीलार्थी के वकील सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2019] के तर्क से प्रभावित नहीं।

विवादित न्यायालय को दरकिनार कर दिया जाता है। [पारस 15,16] [410-सी-डी] सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय और भारत का एक और और अन्य 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 51 ने विशिष्टता प्राप्त की। राम वी. राधे श्याम (1971) 1 एस. सी. सी. 774] पूरक। एस. सी. आर. 172; चंद्रपाल सिंह बनाम। महाराज सिंह और एक अन्य (1982) 1; आर. एस. सुजाता बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य) 5 एस. सी. सी. 689: [2010] 14 एस. सी. आर. 227-करुणाकरन बनाम पर निर्भर था। टी. वी. ईचेरा वारियर और एक अन्य) 1 एस. सी. सी. 18: [1978] 2 एस. सी. आर. 209; गोवा राज्य मारिया अल्बर्ट वेल्स उर्फ रॉबर्ट वेल्स (2018) 659; एम. एस. शरीफ बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 397 [1954] एस. सी. आर. 1229; पेरुमल बनाम। जानकी (2014-377: [2014] 1 एससीआर 591; एच. एस. बेदी बनाम भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन-संदर्भित। मामला कानून संदर्भ] पूरक। एस. सी. आर. 172 पैरा पर निर्भर करता है) 1 एस. सी. सी. 466 पैरा पर निर्भर करता है] 14 एस. सी. आर. 227 पैरा पर निर्भर करता है] 2 एस. सी. आर. 209 पैरा को संदर्भित करता है) 11 एस. सी. सी. 659 पैरा को संदर्भित करता है] एस. सी. आर. 1229 पैरा को संदर्भित करता है] 1 एस. सी. आर. 591 पैरा आपराधिक अपील न्यायपालिका को संदर्भित करता हैः आपराधिक 2019 आरिस असगर कुरैशी बनाम के आपराधिक आवेदन संख्या 728 में बॉम्बे का निर्णय और आदेश दिनांक 07.03.2018।

फरीद अहमद कुरैशी

श्रीमती अमृता पांडा, नील चटर्जी, देबेश पांडा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

नीलेश ओझा, विजय कुमार, आर. सी. शर्मा, मारीश प्रवीर सहाय, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान मामला 07.03.2018 के एक निर्णय से उत्पन्न होता है।

बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय, जिसमें उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि प्रथम दृष्टया Cr.P.C की धारा 340 के तहत झूठी गवाही के लिए मामला बनाया गया है, और यह कि हमारे समक्ष अपीलार्थी पर मुकदमा चलाना न्याय के हित में समीचीन होगा।

3. वर्तमान मामला वैवाहिक कार्यवाही से उत्पन्न होता है जिसमें दोनों अग्रिम जमानत आवेदनों में कुछ कथन किए गए हैं।

सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष। जहाँ तक सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन का संबंध है, उपरोक्त आवेदन में आवेदकों ने कहाः

" 8. कि आवेदक नंबर 1 इन घटनाओं से बहुत परेशान था और इस तरह अपनी सास नसीम से संपर्क किया

कुरैशी ने इस मामले में उनके हस्तक्षेप की मांग की और इस उम्मीद में कि एक माँ अपनी बेटी से समझदारी से बात कर पाएगी और उनके संबंधों में सुधार कर पाएगी। हालांकि, परिवार के कई सदस्यों के हस्तक्षेप के बावजूद सना के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इस अवधि के दौरान, यह पता चला कि सना का माहिम में रहने वाले वसीम शेख के साथ संबंध था। आवेदक नंबर 1 के ससुराल वालों ने स्वीकार किया कि वे इस संबंध के बारे में जानते थे जो सना के साथ आवेदक नंबर 1 की शादी से पहले चल रहा था, लेकिन चूंकि उक्त वसीम शेख दूसरे समुदाय से था, इसलिए उन्होंने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया और जबरदस्ती की।

सना आवेदक नंबर 1 से शादी करेगी। 11. कि 29 अक्टूबर, 2016 को आवेदक नंबर 1 सना को उसके मातृ गृह से लाने गया था और पूरी तरह से हैरान था

सना को वसीम शेख के साथ समझौता करने की स्थिति में खोजने के लिए। कि आवेदक नंबर 1 और हैरान था कि ऐसी घटनाएं उसके ससुराल वालों की नाक के ठीक नीचे हो रही थीं जो अपनी बेटी को इन अवैध [2019] 3 एस. सी. आर. को बनाए रखने से हतोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे।

संबंध। इसके बाद, आवेदकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि

शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि वे बर्दाश्त नहीं करेंगे

इस तरह के अवैध संबंधों की निरंतरता जो खिलाफ गई

विवाह की पवित्र संस्था और मांग की कि सना सभी को रोके

उक्त वसीम शेख के साथ बातचीत और उसे करना चाहिए

वास्तव में उसकी शादी को सफल बनाने की कोशिश करें। हालाँकि, सना ने मान लेने से इनकार कर दिया और नवंबर, 2016 में सना ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया।

अपने साथ विभिन्न सामान ले जा रही है। " जब उपरोक्त कथनों को ध्यान में लाया गया

न्यायालय में, और सत्र न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि ये

जानने के लिए जानबूझकर किए गए झूठे बयान

न्यायालय, सत्र न्यायालय से एक निर्णय द्वारा कृषि योग्य आदेश

12.02.2018 आयोजितः

" अभियुक्तों पर निम्नलिखित दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया जाता है -

धारा 323,376 (बी), 377,406,498 ए, 504 और 506 के 34 के साथ पढ़ा जाता है

भारतीय दंड संहिता और दहेज की धारा 3 और 4 के तहत

निषेध अधिनियम, 1961। एफ. आई. आर. 19-11-2017 पर पंजीकृत था। फिर भी। न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दायर नहीं किया जाता है, इसलिए अभियुक्त संख्या के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। 1 7 तक का संचालन किया जाना बाकी है। अभियोजन पक्ष के गवाहों और बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य, यदि कोई हों, अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं। साक्ष्य दर्ज करने के बाद, दोनों पक्षों को गवाह से जिरह करने का अवसर मिलता है। इसके बाद, यह तय किया जाएगा कि क्या अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा लगाए गए आरोप

सही या गलत। इस मोड़ पर, अभियुक्त संख्या का विरोधाभासी बयान। 1 7 न्यायालय के समक्ष हैं। अब, सच्चाई की

बयान तय नहीं है। मान लीजिए, अगर व्यक्ति ने झूठ बोला है

शपथ पर न्यायालय के समक्ष बयान, वह सजा के लिए उत्तरदायी है।

हालाँकि, उस उद्देश्य के लिए, यह आना आवश्यक है

अभियुक्त, उन्हें इस समय दंडित नहीं किया जा सकता है, और Cr.P.C की धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, क्योंकि पीड़ित द्वारा दायर मामले में आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। इसलिए यह आवेदक द्वारा दाखिल किया गया आवेदन अपरिपक्व है।

4. अग्रिम जमानत में भी यही बयान दिए गए थे

उच्च न्यायालय के समक्ष समर्पण। उच्च न्यायालय ने पाया किबाघ अधिकारी ने 24.11.2017 दिनांकित एक रिपोर्ट दायर की थी और एक AARISH ASGAR QURESHI v दर्ज किया था।

फरीद अहमद कुरैशी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह पाते हुए कि अग्रिम जमानत याचिका में लगाए गए आरोप झूठे थे। प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उपरोक्त आवेदन में गलत बयान दिया है और इसलिए, आई. डी. 1 की धारा 195 (1) (बी) के साथ पठित धारा 340 के तहत शिकायत दर्ज करने का मामला बनाया गया है और न्याय के हित में यह समीचीन है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाए जिसकी अधिकारिता हो। उच्च न्यायालय ने दिनांकित एक आदेश के पैरा 3 का भी उल्लेख किया जिसमें उपरोक्त आरोपों को दोहराया गया था और उच्च न्यायालय के अनुसार, अग्रिम जमानत दी गई थी।

5. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्रीमती अमृता पांडा ने कहा है कि तथाकथित जाँच रिपोर्ट एक जाँच अधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट दाखिल करने के दो दिन बाद दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट है।

एफ. आई. आर. जिसमें अग्रिम जमानत आवेदन में दिए गए बयानों के झूठ के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 30.11.2017 के उच्च न्यायालय के आदेश ने केवल उस आरोप को दर्ज किया जो अपीलार्थी के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरण के रूप में गलत पाया गया था। हालाँकि, अग्रिम जमानत उन कारणों से दी गई थी जो प्रस्तुत किए गए कारणों से पूरी तरह से अलग थे। वह।

हमारे समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं की ओर से उस कार्यवाही को दबाना अत्यधिक अनुचित था जो अंततः सत्र न्यायालय के 12.02.2018 के आदेश में समाप्त हुई, और कहा कि इस आधार पर भी क्योंकि उत्तरदाताओं ने अस्वच्छ हाथों से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, इसलिए विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी दलीलों को मजबूत करने के लिए कुछ निर्णयों का हवाला दिया।

6. प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री नीलेश ओझा ने इन दलीलों का विरोध किया है। दमन पर,

उन्होंने कहा है कि, वास्तव में, अग्रिम के लिए आवेदन

सत्र न्यायालय में जमानत दी गई और उसके बाद उच्च न्यायालय में जमानत दी गई और 8 और 9 फरवरी तक उच्च न्यायालय में प्रभावी दलीलें पूरी कर ली गईं। जाहिर है इसलिए, 12.02.2018 दिनांकित आदेश को उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया जा सका। उन्होंने यह भी कहा कि सत्र न्यायालय के समक्ष किया गया अग्रिम जमानत आवेदन एक अलग और स्वतंत्र आवेदन था, जिसे सत्र न्यायालय ने निपटाया।

उच्च न्यायालय के समक्ष फिर से अलग अग्रिम जमानत आवेदन के साथ, यह उच्च न्यायालय के लिए स्वतंत्र था कि वह एक स्वतंत्र कार्यवाही में अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या धारा 340 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। उन्होंने अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए कुछ निर्णयों पर भी भरोसा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. कार्यवाही शुरू करने पर धारा 340 के तहत कानून को हमारे कई फैसलों में शामिल किया गया है। इस प्रकार छाजू राम बनाम राधे में

एम, (1971) 1 एस. सी. सी. 774, इस न्यायालय ने पैरा 7 में कहाः

" 7 ..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि झूठा सबूत देना और झूठा हलफनामा दायर करना एक बुराई है, जिस पर प्रभावी रूप से मजबूत हाथ से अंकुश लगाया जाना चाहिए, लेकिन उचित सावधानी और सावधानी के बिना और अनिर्णायक और संदिग्ध सामग्री पर बहुत आसानी से और बहुत बार झूठी गवाही के लिए मुकदमा शुरू करना अपने उद्देश्य को विफल कर देता है। अभियोजन का आदेश तब दिया जाना चाहिए जब न्याय के हित में दंड देना समीचीन समझा जाए। अपराधी और केवल इसलिए नहीं कि बयान में कुछ अशुद्धता है जो निर्दोष या महत्वहीन हो सकती है। सार के मामले में जानबूझकर झूठ बोलने का प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए और अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोप के लिए उचित आधार है।

8. इसी तरह चंद्रपाल सिंह और अन्य बनाम महाराज में।

एन एंड अदर, (1982) 1 एस. सी. सी. 466, इस न्यायालय ने पैरा 14 में कहाः

सबूत। यह शिकायत की जाती है कि इन हलफनामों में कुछ कथन झूठे हैं, हालांकि शिकायत में इस उद्देश्य के लिए कोई विशिष्ट कथन नहीं दिया गया है। जब यह आरोप लगाया जाता है कि किसी घोषणा में गलत बयान दिया गया है जो किसी न्यायालय में या किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्राप्य है, तो कथित रूप से गलत होने वाले कथन को स्थापित करना होगा और किसी दस्तावेज में पाए गए सत्य के संदर्भ में इसकी कथित असत्यता को यह इंगित करने के लिए संदर्भित करना होगा कि दोनों स्थितियां सह-अस्तित्व में नहीं हो सकती हैं, दोनों एक ही व्यक्ति के लिए जिम्मेदार हैं और इसलिए, उनकी जानकारी में एक ही गलत होना चाहिए। अभियोजक 1 चंद्रपाल सिंह ने आरोप लगाया कि अदालतों द्वारा स्वीकार किए गए या खारिज किए गए हलफनामों में दी गई प्रतिद्वंद्वी दलीलें धारा 199, आई. पी. सी. के तहत आरोप के लिए आधार प्रदान नहीं करती हैं। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सभी प्रतिद्वंद्वी हलफनामों की जांच करने के बाद इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार यह गलत नहीं होता है। एकमात्र निष्कर्ष यह है कि अरिश असगर कुरैशी बनाम द्वारा दिया गया बयान।

फरीद अहमद कुरैशी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

चंद्रपाल सिंह ने दूसरों की ओर देखकर आत्मविश्वास पैदा नहीं किया

मामले में प्रासंगिक साक्ष्य। साक्ष्य की स्वीकृति या अस्वीकृति अपने आप में खारिज किए गए साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त पैमाना नहीं है।

झूठा है। झूठ का आरोप तब लगाया जा सकता है जब सच स्पष्ट रूप से सामने आता है और गलत बयान देने वाले व्यक्ति की जानकारी में होता है। अदालतों में गवाहों के एक समूह द्वारा किए गए बयानों को दिन-ब-दिन स्वीकार किया जाता है और जवाबी बयानों को खारिज कर दिया जाता है। यदि ऐसे सभी मामलों में धारा 199, आई. पी. सी. के तहत शिकायतें दायर की जाती हैं, तो न केवल मुकदमेबाजी के द्वार खुलेंगे, बल्कि यह निर्विवाद रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने हमें बताया कि झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है और जब तक कि अदालतें ठोस कार्रवाई करके ऐसे व्यक्तियों पर भारी नहीं उतरती हैं पूरी न्यायिक प्रक्रिया का उपहास किया जाएगा। हम निवेदन में कुछ ताकत देखते हैं लेकिन यह भी उतना ही सच है कि दुखी और हताश वादियों को आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र को सस्ते में लागू करके अपनी हताशा को दूर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ शिकायतकर्ता एक अधिवक्ता है। वह किराया नियंत्रण कार्यवाही में दोनों अदालतों में हार गया और अब आपराधिक अदालत में चला गया है। यह अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। इसके साथ यह तथ्य भी जोड़ा जाए कि दोनों पक्षों के बीच एक और मुकदमा 1975 से लंबित था। यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि इस पृष्ठभूमि में आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करते हुए इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। पी. सी. "

9. आर. एस. सुजाता बनाम में इन दोनों निर्णयों को संदर्भित किया गया था और उन पर भरोसा किया गया था। कर्नाटक राज्य और अन्य, (2011) 5 689 (पैरा 15 और 16 पर)। यह न्यायालय, कानून निर्धारित करने के बाद

इन दो निर्णयों में निष्कर्ष निकाला गयाः

" 18. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि जांच/अवमानना

अदालत द्वारा कार्यवाही असाधारण रूप से शुरू की जानी चाहिए।

ऐसी परिस्थितियां जहां अदालत की राय है कि अदालत से कुछ लाभकारी आदेश प्राप्त करने के लिए जानबूझकर किसी पक्ष द्वारा झूठी गवाही दी गई है। इस तरह की कार्यवाही शुरू करने के लिए केवल अनुमान या संदेह से अधिक प्रकृति के आधार होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए क्योंकि केवल संदेह झूठी गवाही का आरोप घर नहीं ला सकता है। इसके अलावा, अदालत को तथ्यों के आधार पर, [2019] 3 एस. सी. आर. भी निर्धारित करना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या न्याय के हित में जाँच करना समीचीन है

ऐसा अपराध जो किया गया प्रतीत होता है।

10. अतः इन निर्णयों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि

कुछ जानबूझकर होना चाहिए-एक बयान जानबूझकर और सचेत रूप से दिया जाना चाहिए जो निर्विवाद साक्ष्य, दस्तावेजी या अन्यथा के साथ इसकी तुलना करने के परिणामस्वरूप गलत पाया जाता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत याचिका में दिए गए बयान का परीक्षण निर्दोष के खिलाफ नहीं किया जा सकता है

साक्ष्य के रूप में साक्ष्य अभी तक सामने नहीं आया है। इसके अलावा, 12.11.2011 दिनांकित रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, जो जांच अधिकारी द्वारा केवल दो दिन बाद दायर की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रकृति में है। एफ. आई. आर. दर्ज किया गया है, किसी भी परिस्थिति में इसमें दिए गए बयानों के विपरीत निर्विवाद साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

अग्रिम जमानत याचिका। इसके अलावा, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा सही ढंग से बताया गया है, कि हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 30.11.2017 आदेश के पैरा 3 में दर्ज किया गया प्रस्तुतिकरण अग्रिम जमानत में उपरोक्त पैराग्राफ से है।

फिर भी, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मुख्य रूप से अग्रिम जमानत दे रहा था क्योंकि एफ. आई. आर. जमानत के साथ संलग्न था।

आवेदन यह नहीं दिखाता है कि यौन संबंध था

अपने अलगाव के दौरान अपनी पत्नी के साथ आवेदक जिसके परिणामस्वरूप यह आकलन करना संभव नहीं था कि आई. पी. सी. की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में अभिकथन प्रमाणित है या नहीं। उच्च न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि इस बात पर विचार करते हुए कि पति और पत्नी शादी के बाद केवल कुछ समय के लिए एक साथ रहे थे।

टी. वी. ईचेरा वारियर और अन्य, (1978) 1 एस. सी. सी. 18, यह न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XXVI का उल्लेख करने के बाद दोहराया कि एक बयान को गलत नहीं कहा जा सकता है जब तक कि यह जानबूझकर या जानबूझकर नहीं किया जाता है (पैरा 23 और 30 देखें)। यह देखते हुए कि यह न्यायालय एक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील की सुनवाई कर रहा था

अभियोजन पक्ष ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब मामले में दो विचार संभव होंगे तो वह अरिश असगर कुरैशी बनाम।

फरीद अहमद कुरैशी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्याय के हित में उपरोक्त आदेश में हस्तक्षेप करना समीचीन नहीं होगा (पैरा 26 देखें)।

12. सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 51 में, इस न्यायालय ने उस मामले में तथ्यों का उल्लेख किया जिसमें न्यायालय ने तथ्यों में जाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दो डॉक्टरों के साथ निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रतिनियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने बहुत विस्तार से तथ्य एकत्र किए, जैसा कि उपरोक्त निर्णय के पैरा 8 और 9 में उल्लेख किया गया है, और अंततः एक विस्तृत जांच के बाद कुछ निष्कर्षों पर पहुंची। यह इस परिस्थिति में है कि इस न्यायालय ने समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पाया कि संबंधित कॉलेज ने

न्यायालय से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए बेशर्मी से अभिलेखों का निर्माण किया। समिति के उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट था कि कॉलेज द्वारा पूरी तरह से मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर गलत बयान दिया गया था। इस मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से बहुत दूर हैं क्योंकि वर्तमान मामले में कोई मनगढ़ंत दस्तावेज नहीं हैं और न ही तथ्यों पर जाने वाली एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति द्वारा विस्तृत जांच की गई है। इसलिए यह मामला वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग है।

13. प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अगला मामला गोवा राज्य बनाम जोस मारिया अल्बर्ट वेल्स उर्फ रॉबर्ट वेल्स है।

(2018) 11 एस. सी. सी. 659 जिसमें विद्वान वकील ने विशेष रूप से पैरा 34 पर भरोसा किया। इस निर्णय के पैरा 34 ने, बदले में, एम. एस. शरीफ बनाम के प्रसिद्ध निर्णय पर भरोसा किया। मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 397 और

अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि चूंकि उस मामले में उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की "सूक्ष्मता" से जांच की थी और पर्याप्त सामग्री का खुलासा किया था, जिस पर एक न्यायिक दिमाग यथोचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता था कि आगे

धारा 340 की कार्यवाही में जाँच आवश्यक थी, यह अभिनिर्धारित किया कि

इसलिए, धारा 340 की कार्यवाही जारी रखनी चाहिए। जैसा कि वर्तमान मामले के तथ्यों में कहा गया है, उच्च न्यायालय ने किसी भी सबूत की जांच नहीं की है क्योंकि जांच करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी देखा है वह एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, और वह भी एक पुलिस अधिकारी द्वारा, अग्रिम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के साथ, जिनमें से किसी को भी निर्दोष सबूत नहीं कहा जा सकता है, जिसके खिलाफ यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया झूठी गवाही का मामला बनाया गया है। यह निर्णय प्रतिवादी के मामले को भी आगे नहीं बढ़ाता है। प्रत्यर्थी ने तब पेरुमल बनाम जानकी, [2019] 3 एस. सी. आर. पर भरोसा किया।

(2014) 5 एस. सी. सी. 377 और पैरा 20, विशेष रूप से, यह बताने के लिए कि उच्च न्यायालयों को न केवल धारा के तहत ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने का अधिकार है

195 लेकिन उचित मामलों में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का दायित्व भी। यह प्रस्ताव अकल्पनीय है। हालाँकि, हमने पाया है कि वर्तमान ऐसा उपयुक्त मामला नहीं है।

14. विद्वान वकील ने तब दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया

एच. एस. बेदी बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9524 जो वर्तमान अदालतों के सामने आने वाली समस्याओं और उनके समक्ष दायर किए गए झूठे हलफनामों की संख्या को कुछ विस्तार से बताता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इसका वर्तमान मामले के तथ्यों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। 15. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलें कि उच्च न्यायालय ने खुद को संतुष्ट नहीं किया है कि मामले को आगे बढ़ाना न्याय के हित में समीचीन है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है

सही है। इस तरह के निष्कर्ष दर्ज किए जाते हैं। लेकिन हमने इसके विपरीत पाया है।

कि इसे इस तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। समान रूप से, हम सत्रों के दमन पर अपीलार्थी के वकील के तर्क से प्रभावित नहीं हैं। अदालती आदेश।

16. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे